

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत बिर कुमार सिंह (Bir Kumar Singh) पिता- रामदेव सिंह (Ramdev Singh); ग्राम- पतरातू, थाना- पतरातू, जिला - रामगढ़ (झारखण्ड) को एल. ए. आधिनियम ; सं.-10/05-06 के तहत ग्राम- पतरातू, थाना सं.-22 (रैयती भूमि) के खाता सं. - 56, के अधीन प्लॉट सं.-9, 13, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 10, 28, 29, 25, 26, 17, ; खाता सं. - 139, के अधीन प्लॉट सं.- 8; कुल रकबा: -2.02961 एकड़ (रैयती भूमि) के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है।

अगर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा / आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाइट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से दस दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व) सी.सी.एल, राँची एवं क्षेत्रीय महाप्रबंधक (बरका - सयाल), सी.सी.एल, के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर दस दिनों के अंदर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

बि.क.सिंह
22/02/28